निर्णय बइजलास काना राम (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 35/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं0 2025/279

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती बच्ची देवी पत्नी श्री नाथूराम बंजारा निवासी गुर्जर डूंगरी मलारना डूंगर, ग्राम पंचायत मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
2. श्री नाथूराम पुत्र श्री सोन्या बंजारा निवासी गुर्जर डूंगरी मलारना डूंगर, ग्राम पंचायत मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती बच्ची देवी पत्नी श्री नाथूराम बंजारा निवासी गुर्जर डूंगरी मलारना डूंगर, ग्राम पंचायत मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा नं0 01, बुक संख्या 40 बहक नाथूराम बंजारा पुत्र सोन्या बंजारा ग्राम मलारना डूंगर, ग्राम पंचायत व पंचायत समिति मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में बंशी बंजारा का मकान, पश्चिम में महेन्द्र का खाली प्लॉट, उत्तर में विजय बंजारा की खाली भूमि व दक्षिण में खाली जगह छोडकर आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट है, को बंधक रखकर 5,62,600/–(पांच लाख बासठ हजार छः सौ रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.04.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद तामिल नोटिस अप्रार्थीगण नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 11.04.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी गया लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा नं0 01, बुक संख्या 40 बहक नाथूराम बंजारा पुत्र सोन्या बंजारा ग्राम मलारना डूंगर, ग्राम पंचायत व पंचायत समिति मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में बंशी बंजारा का मकान, पश्चिम में महेन्द्र का खाली प्लॉट, उत्तर में विजय बंजारा की खाली भूमि व दक्षिण में खाली जगह छोडकर आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो।
6. पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.2.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner